कलेक्टर-एसपी ने गोनेड़ा, रायपुर, भगवाड़ी-कला नाका चेक पोस्ट का किया निरीक्षण

व्यवस्था में तैनात स्टेटिक सर्विलांस टीम को सतर्क होकर जांच करने के निर्देश

- सुरक्षा जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जायें। साथ ही आम नागरिकों से शालीनतापूर्वक व्यवहार करते हुए जांच करें

कोटपूतली (सीमा सन्देश सं)। लोकसभा चुनाव को लेकर कोटपूतली-बहरोड़ जिले में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु बॉर्डर चेक पोस्ट सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी की व्यवस्था जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई।

बुधवार देर रात्रि जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल एवं एसपी वंदिता राणा ने गोनेड़ा, रायपुर, भगवाड़ी-कला नाका चेक पोस्ट सहित नाकाबंदी की व्यवस्था का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचकर वाहनों की आवाजाही के रिकॉर्ड संधारण की जांच की। उन्होंने व्यवस्था में तैनात स्टेटिक सर्विलांस टीम को सतर्क होकर जांच करने के निर्देश दिये। कलेक्टर व एसपी ने निरीक्षण के दौरान एसएसटी टीम के दल प्रभारी तथा पुलिस की टीम से चर्चा की। लगातार टीम के द्वारा जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, अपनी पैनी नजर आने जाने वाले वाहनों पर बनाये रखें। एसपी वंदिता राणा ने टीम को निर्देशित करते हुए कहा कि सुरक्षा जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जायें। साथ ही आम नागरिकों से शालीनतापूर्वक व्यवहार करते हुए जांच करें। चेकिंग की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता के तारतम्य में एनडीपीएस, शराब, धन, कीमती सामान जो जिले के अंदर लाकर निर्वाचन को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी निगरानी की जा रही है। जिले के एंट्री और एक्जिट पॉइंट्स की निगरानी की जा रही है। इस दौरान संबंधित ड्यूटी पोस्टों पर पुलिस कार्मिक तथा पैरामिलिट्री के जवान उपस्थित रहे।

ओपीडी का समय 8 बजे, 9.30 बजे तक चिकित्सक नदारद

कोटपूतली (सीमा सन्देश सं)। एक ओर जहाँ केन्द्र व राज्य सरकारें आमजन के कल्याण के लिये विभिन्न योजनायें बनाती है। साथ ही शिक्षा व चिकित्सा जैसी मुलभूत सुविधायें लोगों तक सुचारू रूप से पहुँचाने के लिये प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रूपयों का बजट खर्च करती है, लेकिन इसके बावजुद भी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की अर्कमण्यता सरकारों के ध्येय को पुरा नहीं होने देती। ऐसा ही कुछ नजारा गुरूवार को कस्बा स्थित राजकीय बीडीएम जिला चिकित्सालय में देखने को मिला।

उल्लेखनीय है कि राजकीय अस्पताल में स्टॉफ की लापरवाही के समाचार तो आये दिन सामने आते ही रहते है। विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के तमाम प्रयासों के बावजुद यहाँ की व्यवस्थायें दुरूस्त नहीं हो रही है। गुरूवार को राजकीय अस्पताल में प्रतिदिन की भांति ओपीडी में चिकित्सक को दिखाने के लिये भारी संख्या में मरीजों की भीड़ प्रातः 8 बजे ही एकत्रित हो गई। लेकिन प्रातः 9.30 बजे तक चिकित्सक अपने कमरों से नदारद रहे। इस दौरान अस्पताल में मरीजों की लाईने एकत्रित होने लगी। डॉक्टर को दिखाने के लिये पर्ची कटवाने के लिये मरीज इधर उधर भटकते रहे। अस्पताल के मेडीसिन विभाग में भी चिकित्सक नदारद रहे। जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह व्यवस्थायें दुरूस्त हो पाती है या परिस्थिति इस तरह बिगड़ी रहती है।

रूपाली सुराणा व पति आईपीएस अमृत जैन का किया सम्मान

ब्यावर,। श्री वर्द्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित शिक्षण संकुल में अध्ययनरत पूर्व छात्रा रूपाली सुराणा के यू.पी.एस.सी में चयनित होने के अवसर पर वर्द्धमान सभागर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मंत्री डॉ नरेन्द्र पारख ने ब्यावर के लिए इसे गौरवशाली पल बताते हुए कहा कि गुरूजनों की प्रेरणा, कड़ी मेहनत, एवं लक्ष्य के प्रति सजगता के द्वारा ही इस सफलता को प्राप्त किया। श्री भंवरलाल गोठी पब्लिक सीनियर सै. स्कूल की पूर्व छात्रा व वर्द्धमान की शान रूपाली सुराणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में विद्यालय एक अहम भूमिका निभाता है। यहां से ही प्रारंभिक शुरूआत कर गुरूजनों के सहयोग से विद्यार्थी ऊंचाईयों को छूता है। उनकी इस उपलब्धि पर श्री भंवरलाल गोठी पब्लिक सी. सै. स्कूल की निदेशक प्राचार्या डॉ निवेदिता पाठक ने रूपाली के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रूपाली शुरूआत से ही पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी रूचि रखती थी, उन्होंने बताया कि रूपाली हेण्ड बॉल टीम की महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। सर्वप्रथम रूपाली सुराणा का श्री भंवरलाल गोठी सी.सै. स्कूल प्रांगण में स्वागत किया, गया तत्पश्चात महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचते ही मुख्य द्वार पर तिलक लगाकर विद्यालय बैण्ड द्वारा स्वागत सत्कार किया गया।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य ए.यू. स्माल फाइनेन्स बैंक शाखा कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़ के समक्ष श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री गणपतराम गुर्जर ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2023 द्वारा 211.77 वर्गगज वाके जगदीशपुरा खसरा नं. 522 बाबत विक्रय पत्र प्रस्तुत कर ऋण व फाइनेन्स सुविधा के लिए आवेदन किया है। साथ ही मेरे अभिभाष्य को जानकारी दी है कि बैक-चेन दस्तावेज दानपत्र दिनांक 30.08.2019 जिसका पंजीयन उप पंजीयक कोटपूतली के जिल्द स. 782 पृष्ठ 123 क.सं. 201903061103955 मूल कहीं गुम हो गया है। इसलिए इस संबंध में हर खास और आम व्यक्ति या अन्य किसी भी विधिक व्यक्ति को उक्त गुम हुए दस्तावेज के संबंध में या मेरे अभिभाष्य ए.यू. स्माल फाइनेन्स बैंक शाखा कोटपूतली द्वारा श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री गणपतराम गुर्जर को ऋण/फाइनेन्स सुविधा दिए जाने के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर मेरे अधिलिखित कार्यालय पते पर मय सबूत अपनी आपत्ति हो तो उसकी लिखित अभ्यापत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद गुजरने मियाद इस आम सूचना के इस संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति की कोई भी आपत्ति या अन्य कोई हक या विधिक अधिकार मेरे अभिभाष्य ए.यू. स्माल फाइनेन्स बैंक के विरुद्ध शेष नहीं रह जाएगा। अर्थात ऐसी कोई आपत्ति विधित मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

दिनांकः 18.04.2024

रोहिताश चौधरी एडवोकेट
ग्राम- सांगटेढा, तहसील कोटपूतली,
जिला कोटपूतली-बहरोड़
मो. 9001412070

1. अजयपाल पुत्र स्व. श्री जयसिंह, आयु 27 साल, जाति जाट, निवासी देवरोड, तहसील पिलानी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
2. संजयपाल पुत्र स्व. श्री जयसिंह, आयु 26 साल, जाति जाट, निवासी देवरोड़, तहसील पिलानी, जिला झुंझुनं राजस्थान।

- आवेदकगण

बनाम

सर्व साधारण हर आम व खास

-विपक्षीगण

आवेदन पत्र बाबत प्राप्त करने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अन्तर्गत पारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

CMNC-11/2021

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदकगण के पिता जयसिंह अध्यापक के पद से सेवानिवृत होने के बाद देहान्त दिनांक 18.11.2020 को हो गया था। आवेदकगण के पिता ने नौकरी के दौरान एक बीमा डाक जीवन बीमा करवाया था, जिसके पॉलिसी संख्या आर.जे. 5501121 सीएस तथा आर. जे. 5501818 सीएस है। उक्त पॉलिसी में नोमिनी आवेदकगण की माता सावित्री देवी थी, जिनकी भी मृत्यु दिनांक 16.02.2019 को हो चुकी है। अब उक्त पालिसी का क्लेम प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण चाहने हेतु आवेदकगण ने आवेदन किया है। इस संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहते है। अतः हर खास व हर आम को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदकगण के पक्ष में जयसिंह की उक्त पालिसी का क्लेम प्राप्त करने बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति या ऐतराज हो तो स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 1. 5.2024 को उपस्थित होकर उन प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदकगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा और ऐतराज समाहत नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 15-04-2024 को जारी किया गया।

आदेशानुसार
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)

सिंधी लेडीज क्लब अजमेर की मन्नत हुई पूरी

अजमेर (सीमा सन्देश सं)। आज गुरुवार को सिंधी लेडिज क्लब अजमेर (रछउ) के सदस्यों ने अपने सालाना जलसे भक्ति बि शक्ति बि की धमकेदार सफलता की मन्नत साई मंदिर अजयनगर में 108 नारियल चढ़ा कर पूरी की। अपने शो की कामयाबी के लिए 25 फरवरी को साई मंदिर में धागा बांधा था। शुरूवात करने से पहले सिंधी लेडिज क्लब अजमेर (SLC) अध्यक्ष दिशा प्रकाश किशनानी ने बताया कि हमारा शो हर बार की तरह हाउस फुल रहा।

GRIHUM | **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व में पूनावाल्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) | पंजीकृत कार्यालयः 602, छठी मंज़िल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर 79/1, घोरपडी, मुंडवा रोड, पुणे - 411036 शाखा कार्यालय इकाईः प्रथम तल, 1-सी-18, एसएफएस, शीला चौधरी रोड, तलवंडी कोटा, राजस्थान-324007 | **ई-नीलामी-बिक्री सूचना** सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002(अधिनियम) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के प्रावधानों के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आमजन को और विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(ों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पूर्व में पूनावाल्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था,** 17 नवंबर 2023 से पूनावाल्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया है (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से सम्मिलित किया गया था) और (इसके बाद 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में संदर्भित किया है) के पास बंधक रखा है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के नियम 8 और 9 के सहपठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर लिया है। सुरक्षित आस्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से **22/05/2024** को 'जो है जहां है', 'जो है क्या है' और 'वहां जो भी है' के आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com. पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार(सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित राशि (ई)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि(जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण तिथि व समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/ कोर्ट केस, यदि कोई हो, (के)
1	ऋण संख्या एचएफ/0060/एच/20/100313 गोविंद (ऋणधारक), जगोती बाबूलाल (सह-ऋणधारक) बाबू लाल (सह-ऋणधारक)	नोटिस दिनांकः 13/09/2023 कुल बकायाः रु. 582643.60 (रुपये पांच लाख बियासी हजार छह सौ तिरालीस व पैसे साठ मात्र) 13/09/2023 के अनुसार व 15.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वसूली तक देय	भौतिक	मोहल्ला गंज वार्ड नंबर 17 किशनगढ़ बास तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर राजस्थान गंज मोहल्ला राजस्थान 301405 की बंधक सम्पत्ति के समस्त खण्ड व हिस्से। अधिमापन 630 स्क्वैयर फीट। पूर्व : - हीरालाल ईश्वर का घर, पश्चिमः - वीर सिंह भूमि, उत्तरः - गुलाब चंद का घर, दक्षिणः - गली फिर नवीन मुकेश का घर	रु. 11,85,625/- (रुपये ग्यारह लाख पिचासी हजार छह सौ पच्चीस मात्र)	रु. 1,18,562.5/- (रुपये एक लाख अठारह हजार पांच सौ बासठ व पैसे पांच मात्र)	21/05/2024 सायं 5 बजे से पहले	10,000/-	15/05/2024 (11 एएम- 4 पीएम)	22/05/2024 (प्रातः 11- सायं 2)	निल

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की पूछताछ करें और अतिरिक्त प्रभार, भारों और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोलियां जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति करों, बिजली/पानी का बकाया और संपत्ति से जुड़ा कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **पता- प्लॉट नंबर-68 तृतीय तल गुड़गांव हरियाणा-122003. हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी Support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्ति धारनी पी, ईमेल आईडी- dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर- 994882222.** से अग्रिम रूप से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, से ई-बोली के लिए अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को 20, आर.एन. मुखर्जी रोड-कोलकाता-700001 'गृहम हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड', **बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या-000651000460 और आईएफएससी कोड- ICIC0000006** के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करना आवश्यक है, **21/05/2024** को या उससे पहले किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित किया और **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए **यहां पता - तृतीय तल, बालाजी टावर, प्लॉट संख्या 81, एनईबी, सुभाष नगर, अलवर-301001 मो नं. +91 9567626050 ई-मेल आईडी rahul.r1 @grihumllahousing.com** को ई-मेल व स्व-अभिप्रमाणित हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता है। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु नियम व शर्तों के अधिक विवरण के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com या **www.grihumhousing.com** पर जाएं।

यह सूचना ऋणधारक/सह-ऋणधारक/बंधककर्ता(ओं) जमानतदार(ों) को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम - 2002 के नियम 8(6) के अधीन 30 दिनों के नोटिस के रूप में भी ली जाये।

दिनांकः 19.04.2024, स्थानः जयपुर | प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाल्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात)